वनमण्डलाधिकारी उमरिया का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

मे0 सारडा एनर्जी एन्ड मिनरल्स लिमिटेड, नागपुर (महाराष्ट्र) द्वारा शाहपुर वेस्ट कोल ब्लाक हेतु प्रस्तावित 538.41 हे0 अन्तर्गत 80.590 हे0 वनभूमि में से वनमण्डल उमरिया अन्तर्गत 65.041 हे0 वनभूमि का दिनांक 23.07.22 को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। विवरण निम्नानुसार है –

क्र0	विवरण	स्थल निरीक्षण विवरण
1.	प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टेयर में)।	80.590 हे0 भूमि मे से उमरिया वनमण्डल अन्तर्गत प्रस्तावित कुल 65.041 हे0 भूमि (46.488 हे0 वनभूमि एवं 18.533 हे0 राजस्व वनभूमि)
2.	व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वनभूमि का स्थान (अंक्षाश–देशान्तर)।	आर0एफ0 227 1. 23°14'27.507"N 81°17'28.224"E 2. 23°14'27.279"N 81°17'41.101"E 3. 23°14'26.495"N 81°17'52.891"E 4. 23°14'19.648"N 81°18'01.273"E पी0एफ0 27 1. 23°15'32.842"N 81°18'25.748"E 2. 23°15'17.023"N 81°18'25.017"E 3. 23°15'20.010"N 81°18'17.490"E 4. 23°15'32.860"N 81°18'17.180"E
3.	वनभूमि की कानूनी स्थिति (आरक्षित वन/संरक्षित वन/राजस्व वनभूमि या किसी भी अन्य वनभूमि)	34.240 हे0 आरक्षित वन, 12.248 हे0 संरक्षित वन एवं 18.553 हे0 राजस्व वन
4.	प्रस्तावित वनभूमि का अस्थायी केन्र्स आदि के साथ सीमांकन किया गया	आवेदक संस्था एवं वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन कर संयुक्त स्थल सत्यापन किया गया है।
5.	अतिक्रमण का कोई संकेत।	अतिक्रमण के कोई संकेत नही है।
6.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वनभूमि या उससे लगे गैर वनभूमि के भीतर उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा कोई गतिविधि कर लिया गया हो तो वन संरक्षण अधिनियम के तहत उपयोगकर्ता एजेन्सी के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम का उल्लंघन होना नहीं पाया गया है।
7.	वनस्पति की स्थिति। साईट की गुणवत्ता। प्रजातियों की संरचना।	साईट कि गुणवत्ता III है। प्रस्तावित स्थल पर सागौन, साल एवं मिश्रित प्रजाति के 20478 वृक्ष स्थित है।
8.	वन्यजीवो के दृष्टिकोण से क्षेत्र का महत्व। वन्यजीव की स्थिति (धनत्व और महत्वपूर्ण प्रजातियों की अधिकता, पक्षी, सरीसृप, तितलियों और अनुसूचित वन्यप्राणी, किसी भी लुप्तप्रायः की बहुतायत)। प्रस्तावित क्षेत्र में वन्यजीवों की वर्तमान गणना।	प्रस्तावित क्षेत्र, तेन्दुआ, भालू, चीतल, सांभर, सुअर, सरीसृप, पक्षी आदि वन्यप्राणियों का विचरण क्षेत्र है।
9.	प्रस्तावित क्षेत्र में वनस्पतियों/जीवों या किसी अन्य अद्वितीय पारिस्थितिकी तन्त्र की क्षतिपूर्ति।	कोई अद्वितीय परिस्थिति तंत्र मौजूद नहीं है।
10.	प्रस्तावित क्षेत्र कार्यआयोजना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रबंधित है अथवा नही।	कार्य आयोजना अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र बिगड़े वनो का सुधार कार्यवृत्त अनुसार प्रबंधित हैं।
11.	ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तावित क्षेत्र का महत्व।	ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का क्षेत्र नहीं है।
12.	प्रस्तावित क्षेत्र पर व्यक्तियों/परिवारो की निर्भरता।	प्रस्तावित भूमि पर स्थानीय व्यक्तियों/परिवारों की जलाऊ व लघुवनोपज हेतु निर्भरता है।
13.	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों/परिवारो का विस्थापन।	विस्थापन की स्थिति नहीं है।

14.	प्रस्तावित क्षेत्र से विस्थापित व्यक्तियो/परिवार के लिए पुनर्वास/पुनर्स्थापन की योजना हैं। क्या विस्थापित होने वाले प्रस्ताव से व्यक्तियो में असंतोष हैं।	प्रस्तावित क्षेत्र से व्यक्तियों की असहमति के प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है।
15.	प्रस्तावित प्रतिपूरक वनीकरण वनभूमि या गैर–वनभूमि पर हैं। वृक्षारोपण हेतु स्थल की उपयुक्तता। अगर बिगड़े वनभूमि में हैं तो कार्यआयोजना प्रावधान अनुसार विवरण। यदि वृक्षारोपण गैर वनभूमि में प्रस्तावित है तो निकटतम वनक्षेत्र से दूरी। दूरी कि0मी0 में होने कि स्थिति में पैच की संख्या।	प्रस्तावित 80.590 हे0 वनभूमि के बदले वनीकरण योजना हेतु गैर वनभूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदक संस्था द्वारा वचन–पत्र प्रस्तुत किया गया है। गैर वनभूमि उपलब्ध होने के उपरांत ही पृथक से वनीकरण योजना तैयार किया जावेगा।
16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही होना चाहिए साथ ही निकटतम संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 कि0मी0 से अधिक होनी चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नही हैं। बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया के बफर क्षेत्र की सीमा से 10 कि0मी0 की परिधि के बाहर स्थित है।
17.	प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों की निर्भरता। क्या इस क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार को मान्यता दी गई हैं।	प्रस्तावित क्षेत्र पर ग्रामीण आदिवासियों की जलाऊ व लघुवनोपज के लिए निर्भरता है। प्रस्तावित क्षेत्र में आदिवासियों के दिये अधिकार के मान्यता के संबंध में FRA प्रमाण, कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष विचाराधीन है।
18.	परियोजना की उपयोगिता, जिसमें परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं।	परियोजना की स्वीकृति से स्थानीय ग्रामीणो को रोजगार उपलब्ध होगा।
19.	नवीनीकरण के मामले में क्या पहले की स्वीकृत आदेश में निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन आवेदक संस्था द्वारा किया गया हैं।	नवीन आवेदन।
20.	गैर–साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वैकल्पिक विकल्प।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अन्य वैकल्पिक विकल्प न होने संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
21.	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वनभूमि का गैर वानिकी उद्वेश्य के लिए न्यूनतम वनभूमि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा न्यूनतम वनभूमि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	यह सुनिश्चित करते हुए कि वृक्षो के विकास में कोई भी गुंजाइश, प्रस्तावित क्षेत्र का व्यपवर्तन जिस उद्वेश्य से किया जा रहा हैं, पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नही।	परियोजना स्वीकृति उपरांत प्रस्तावित वनभूमि के व्यपवर्तन से वृक्षो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नही हैं।
23.	किसी अन्य महत्व का मुद्वा।	निरंक
24.	परियोजना की स्वीकृति के लिए कारण सहित वनमण्डलाधिकारी की विशिष्ट सिफारिश।	शाहपुर वेस्ट कोल ब्लाक हेतु प्रस्तावित 80.590 हे0 वनभूमि मे से वनमण्डल उमरिया अन्तर्गत कुल 65.041 हे0 भूमि (46.488 हे0 वनभूमि एवं 18.533 हे0 राजस्व वनभूमि) प्रस्तावित है, परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। प्रस्तावित परियोजना से देश को खनिज कोयला की आपूर्ति एवं स्थानीय ग्रामीणो को रोजगार की उपलब्धता होगी। वन एवं वन्यजीवो के संरक्षण संबंधी शर्तो के अधीन अनुशंसा की जाती है।

स्थान – उमरिया

दिनांक - 02/09/2022

(मोहित सूद)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल उमरिया (म0प्र0)